न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 02/2021

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल राजपाल पुत्र नौरंगीलाल जाति नट निवासी बरीतकी थाना महवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल राजपाल पुत्र नौरंगीलाल स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः—07.06.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल राजपाल पुत्र नौरंगीलाल जाति नट निवासी बरीतकी थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध निम्नलिखित मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुये है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र. स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	थाना महवा	461/20	17.07.2020	13 RPGO	230/20	28.07.2020	सजा 300 रूपये अर्थदण्ड दिनांक 04.08.2020
2.	थाना महवा	772/20	01.11.2020	13 RPGO	346/20	04.11.2020	सजा 300 रूपये अर्थदण्ड
3.	थाना महवा	14/2022	04.01.2022	13 RPGO	12/2022	15.01.2022	—

उक्त शख्स राजपाल पुत्र नौरंगीलाल जाति नट निवासी बरीतकी थाना महवा जिला दौसा जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगों को भी जुंआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। गैर सायल इलाके के लोगो को जुंआ सट्टा करने एवं कराने के दुष्प्रेरण में लगा हुआ है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल नियत तारीख पेशी पर उपस्थित आया। राजकीय अधिवक्ता एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.07.30 18:52:49 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध पुलिस थाना महवा जिला दौसा में जुएं सट्टे के अपराध से सम्बन्धित धारा 13 आरपीजीओ के दो प्रकरण दर्ज हुए है, जिसमे गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा से गैर सायल के विरूद्ध दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भी धारा 13 आरपीजीओ का एक प्रकरण दर्ज होना पाया गया है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुएं सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल इलाके के अन्य लोगो को भी जुएं सट्टे के दुष्प्रेरण में लगा रहा है, जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। उक्त शख्स के खिलाफ छोटी मोटी वारदात की रिपोर्ट देने से व गवाही देने से भी लोग डरते है। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। अतः गैर सायल राजपाल पुत्र नौरंगीलाल जाति नट निवासी बरीतकी थाना महवा जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।

गैर सायल द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मैं खेती बाडी करके अपना व अपने परिवार का जीवनयापन करता हूँ। मेरे विरूद्ध केवल मात्र 13 आरपीजीओ के प्रकरण दर्ज किये गये है। जो साधारणतया घर पर ही मनोरंजन के लिये ताश पत्ती खेलने पर ही दर्ज कर लिये गये है। मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरणों में मुझे दण्डित भी किया जा चुका है। मेरे विरूद्ध वर्तमान में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है। मुझे सिर्फ मनोरंजन के लिये दोस्तो के साथ ताशपत्ती खेलने के कारण गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गई है। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जिससे आम जन में भय व्याप्त हो। मेरे प्रति नरमी का रूख अपनाया जाकर मेरे विरूद्ध की गई धारा 3 गुण्डा एक्ट अधिनियम की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

राजकीय अधिवक्ता एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरूद्ध धारा 13 आरपीजीओ के तीन प्रकरण दर्ज है, जिनमें प्रार्थी को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल राजपाल पुत्र नौरंगीलाल जाति नट निवासी बरीतकी थाना महवा जिला दौसा जुआं दौसा ताश पत्ती खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी ताश पत्ती खेलकर जुंआ सट्टा खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में दौसा जिले में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुँआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल राजपाल पुत्र नौरंगीलाल जाति नट निवासी बरीतकी थाना महवा जिला दौसा जुआं को दिनांक 09.06.2024 से 30 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग होते हुये थाना कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना कोतवाली भरतपुर जिला भरतपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं ... की पालना करवाने जाने हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2024.07.30 18:52:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official